''घोषणा–पत्र''

समक्ष– लाईसेंसिंग अधिकारी, फल पौधशाला / निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।

मैं (पौधशाला स्वामी / आवेदक का नाम) .....

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .....निवासी ग्राम / मो0.....

....पोस्ट.....विकास खण्ड.....परगना.....तहसील.....

.....जिला..... घोषणा करता हूँ किः–

1– यह कि प्रार्थी भूमि खसरा सं0.....क्षेत्रफल.....हे0 ग्राम.....पोस्ट.....

.....परगना.....तहसील.....जनपद.....

.....का भूस्वामी है।

2– यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के .....हे0 क्षेत्रफल में फलदार पौधों के उत्पादन हेतु फल पौधशाला की स्थापना की गयी है।

3– यह कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के विभिन्न उपबन्धों का पालन करेगा।

4– यह कि प्रार्थी उक्त अधिनियम, नियमावली एवं कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत पौध उत्पादन मानकों का पालन किया जायेगा।

5– यह कि पौध उत्पादन सम्बन्धी कार्यों से प्रशिक्षित व्यक्ति से ही पौधशाला का संचालन कराया जायेगा।

6– यह कि फल पौधशाला की मिट्टी विशेष प्रकार के ऐसे फल के पौधों के, जिनके सम्बन्ध में लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है, के उत्पादन के लिए उपयुक्त है।

7– यह कि फल पौधशाला में फल के पौधों के वानस्पतिक उत्पादन के लिए मातृ पौधे और मूल वृन्त उपलब्ध है।

8– यह कि मातृ पौधे और मूल वृन्त रोग और नाशीकीट से मुक्त हैं।

9– यह कि रोग और नाशी कीट के संक्रमण को रोकने के लिए रोग निरोधक पौध संरक्षण प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

10– यह कि लाइसेंस को सदैव फल पौधशाला के परिसर में रखा जायेगा लाइसेंस प्राधिकारी के मांगने पर निरीक्षण और जॉच करने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

11– यह कि लाइसेंस धारी पौधशाला के फल के पौधों, मातृ पौधों और मूल वृन्तों में किसी रोग या नाशीकीट के फैलने और उस रोग और नाशीकीट का नियंत्रण करने के लिए की गयी कार्यवाही की सूचना लाइसेंस प्राधिकारी को देगा।

12– यह कि लाइसेंस धारी केवल उन पौधों का उत्पादन और विक्रय करेगा जिनके लिए लाइसेंस दिया गया है।

13– यह कि लाइसेंसधारी द्वारा तैयार की गयी और विक्रय के लिए प्रस्तुत की गयी कलमें निम्नलिखित विशिष्टियों की होगीः–

(एक) किसी फल के पौधे की आयु फल के पौधे की,यथास्थिति कलम लगाने या उसके बीज बोने के समय से तीन वर्ष से अधिक न होगी।

(दो) मूल वृन्त और उपरोपिका पूरी तरह से मिले हुए रहेंगे।

(तीन) मूल वृन्त से उपरोपिका का संयोजन भू–तल से 30 से0मी0 से अधिक नहीं होगा।

14– यह कि ऐसे फलों के पौधों को, जो मानक के अनुसार नहीं होगे, लाइसेंस प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट कर देगा।

प्रमाणित किया जाता है कि घोषणा–पत्र के क्रमांक 01 से 14 तक की सूचना मेरी जानकारी में सही है।

घोषणाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर.....

पता.....